संख्या– 614 / सात–न्याय–2–2013–227जी / 08

प्रेषक,
आर0 के0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक: 20 जून 2013

विषय:–अधीनस्थ न्यायालय के गैर न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स / वैयक्तिक सहायकों के संबंध में मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 18–10–2008 एवं दिनांक 11–05–2009 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (निरीक्षण), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–6479 / Ve-60 / एडमिन (डी) सेक्शन, दिनांक 13–04–2011 एवं पत्र संख्या–7596 / Ve-60 / एडमिन (डी) सेक्शन, दिनांक 17–05–2012 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–3560 / सात–न्याय–2–08–227जी / 2008, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 एवं संख्या–867 / सात–न्याय–2–09–226जी / 2008, दिनांक 11–05–2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में मा0 शेट्टी आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के कम में सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 18–10–2008 में प्रस्तर–1 के नीचे दी गयी तालिका को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने तथा शासनादेश दिनांक 11–05–2009 में स्टेनोग्राफर का पदनाम पृष्ठ–2 प्रस्तर–1 (3) के बजाय प्रस्तर–1 (2) में वेतनमान रू0 4500–7000 के पदों के साथ सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	संशोधित पदनाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1–	स्टेनोग्राफर	4500–7000	स्टेनोग्राफर ग्रेड–III	सिविल जज जूनियर डिवीजन /

				समकक्ष मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध।
2—	वैयक्तिक सहायक (लघुवाद न्यायालय / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / सिविल जज(सीनियर डिवीजन) से सम्बद्ध)	5500–9000	स्टेनोग्राफर ग्रेड–II	सिविल जज सीनियर डिवीजन / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध।
3 —	जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्ययाधीश के वैयक्तिक सहायक।	7450–11500	स्टेनोग्राफर ग्रेड–I	जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सम्बद्ध।

2— उपर्युक्त आदेश दिनांक 01–04–2003 से प्रभावी माने जायेगें।

3 उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–ज़िला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–1108 / दस–2013, दिनांक 20 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

जेला एवं सत्र यायाधीश / अपर जेला एवं सत्र ययाधीश के यक्तिक सहायक।	7450—11500	स्टेनोग्राफर ग्रेड—I	जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सम्बद्ध।

पर्युक्त आदेश दिनांक 01—04—2003 से प्रभावी माने जायेगें।

र्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—2014 के आय—व्ययक के —12 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—अयोजनेत्तर—105—सिविल यालय—03—जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाल

ह आदेश वित्त विभाग के अंशासकीय संख्या—ई—12—1108 / दस—2013, दिनांक प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5-- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनु
संख्या-यू0ओ0-वे0आ0-1-647/दस-13, दिनांक 29 अ
सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या-1252(1)/सात-न्याय-2-2013,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन)।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1/2 तथा आ
उत्तर प्रदेश।
5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि
नई दिल्ली।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नि
7- न्याय अनुभाग-9 (बजट)
8- गार्ड बुक हेतु।
9- संबंधित समीक्षा अधिकारी।